राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक प.11(2)गृह–5/2019 जयपुर दिनांक 24-06-2020

परिपत्र

विषय :– सार्वजनिक सभा, सम्मेलन, जुलूस आदि के आयोजनों के संबंध में दिशा–निर्देश

हाल ही के दिनों में आयोजित किये गये सार्वजनिक आयोजन/रैली में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध एवं एहतियाति व्यवस्थाऐं नहीं होने के कारण घटित दुःखद घटनाओं में जनहानि कारित हुयी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके दृष्टिगत समुचित दिशा–निर्देश जारी किये जाना वांछनीय है।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 44 में लोक सडकों, मार्गो या आमरास्तों पर आयोजित सभाओं या जुलूसों को विनियमित करने के लिए प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों में यह उपबंधित है किः–

1. ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी लोक सडकों मार्गो या आम रास्तों पर सभी सभाओं या जुलूसों को विनियमित करने के लिए साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वह समय जब ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, विहित कर सकेगाः

   परन्तु जिला अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का इस बात का समाधान हो जाने पर कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसी सडक, मार्ग या आम रास्ते में कोई सभा आयोजित करने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने के लिए आशयित है जो यदि अनियंत्रित रहे तो शांति भंग होने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने का निर्देश कर सकेगा।

2. जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शर्तो के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, अध्यपेक्षित अनुज्ञा दे सकेगा :

   परन्तु वह किसी ऐसी सडक, मार्ग या आम रास्ते में कोई ऐसी सभा आयोजित करने या एकत्र करने या एसे जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा देने से इंनकार कर सकेगा जिससे उसकी राय नें शांति भंग होने की संभावना हौ।

3. कोई भी पुलिस अधिकारी, जिस पर किसी जन सभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है, ऐसे किसी भी जुलूस को, जिस उप–धारा (2) में उपदर्शित अनुज्ञा प्राप्त न हो या जो उसकी राय में अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करता हो, रोक सकेगा और ऐसे किसी भी जूलुस या ऐसी किसी सभा को तितर–बितर होने का आदेश दे सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के मध्येनजर यह अपेक्षित है कि संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट एंव पुलिस आयुक्त सार्वजनिक सभा, सम्मेलन, रैली आदि को विनियमित करने के लिए आम नागरिकों की सूचना हेतु साधारण आदेश जारी करेंगे जिसमें उक्त आयोजनो के हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के निर्देश होगें।

ऐसे आयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने आवश्यक होगें। जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तो के साथ जिन्हें वे उचित समझें अध्यपेक्षित अनुज्ञा जारी की जा सकेगी।

जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गयी अनुज्ञा की शर्तो एवं प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चत कराने का दायित्व संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त एवं थाना प्रभारी की होगी। ये अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे की सार्वजनिक आयोजन हेतु जारी की गयी अनुज्ञा में वर्णित शर्तो एवं प्रावधानों की मौके पर पालना आयोजक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कर ली गयी है। ऐसे आयोजनों में विशेष रूप से अग्निशमन व्यवस्थाऐं, एम्बुलेन्स एवं चिकित्सा सुविधाऐं, विद्युत के सुरक्षित प्रवाह की व्यवस्थाऐं, सुदृढ़ एवं सुरक्षित पाण्डाल पूर्णतः सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कार एवं मोटर साईकिल रैली के लिए सुरक्षित रूट चार्ट का चिन्हीकरण व जनसुरक्षा के लिये पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाऐं सुनिश्चित किया जाना भी अपरिहार्य है।

उपरोक्त वर्णित विधिक प्रावधानों के मध्यनजर जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य समस्त पुलिस अधिकारीगण का यह दायित्व होगा कि वे यह जांच करें कि आयोजक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक आयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वांछित अनुज्ञा प्राप्त की गयी है या नहीं या अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंधन तो नहीं किया जा रहा है यदि अनुज्ञा प्राप्त करना नहीं पाया जाता है या अनुज्ञा में वर्णित शर्तो की उल्लंघना पायी जाती है तो ऐसे आयोजन को तत्काल रोक दिया जायेगा एवं विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित विधिक प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने में लापरवाही या उदासीनता पायी जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री ।
2. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. महानिरीक्षक पुलिस रेन्ज (समस्त)।
6. आयुक्त, पुलिस जयपुर/जोधपुर
7. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (समस्त)।
8. जिला पुलिस अधीक्षक (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

24/6/2020
शासन सचिव